न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या–50/2015–16

सुधीर कुमार सिंह बनाम राज्य एवं अमिता कुमारी

(Under Section 8 of the Bihar Land Mutation Act, 2011)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

30/7/18

आदेश

यह पुनरीक्षण वाद, दाखिल खारिज अपील वाद सं0 06/2014–15 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा दिनांक 04.08.2015 को पारित आदेश के विरूद्ध लाया गया है।

इस वाद के पक्षकार निम्न प्रकार है।

प्रथम पक्ष

सुधीर कुमार सिंह, पिता–स्व0 जानकी प्रसाद, ग्राम–कोठवा, थाना–खगौल, जिला–पटना

द्वितीय पक्ष

1. राज्य

2. अमिता कुमारी, पिता स्व0 ललन प्रसाद सिंह, ग्राम–कोठवा, थाना–खगौल, जिला–पटना।

विवादित भूखण्ड का विवरण

अंचल	मौजा	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकवा
1	2	3	4	5	6
दानापुर	मुस्तफापुर	36	40	1048	0.07
			69	1066	0.22
			70	1378	$0.17\frac{1}{2}$
			69	1379	0.18
			47	1297	0.34
			85	1296	0.44
			67	1198	0.04
			47	1197	$0.02\frac{1}{2}$
			70	1340	$0.17\frac{1}{2}$
			69	1339	0.13
			27	1387	0.11
			85	1228	0.15
			138	1152	0.23
				कुल	2.28 $\frac{1}{2}$ए0

आवेदक का कहना है कि

(1) जानकी प्रसाद सिंह रेलवे में ठिकेदार थे। जिनकी वंशावली निम्न प्रकार है।

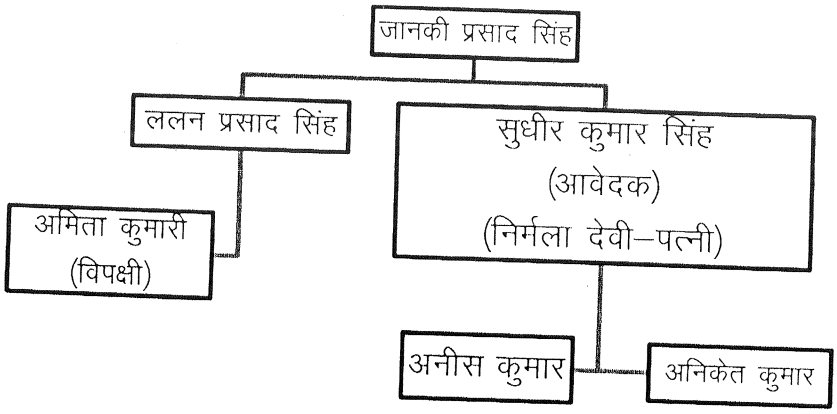

(2) जानकी प्रसाद सिंह के द्वारा अपनी कमाई से अनेक भूखण्ड क्रय किये गये। जानकी प्रसाद सिंह के द्वारा दिनांक 04.08.1998 के निबंधित बख्शीशनामा से विवादित भूखण्ड आवेदक को लिखी गयी, जिसे आवेदक ने स्वीकार किया। आवेदक विवादित भूखण्ड पर शांतिपूर्ण दखल में आये।

(3) आवेदक के द्वारा विवादित भूखण्ड के दाखिल खारिज हेतु अंचलाधिकारी, दानापुर को आवेदन दिया गया। अंचलाधिकारी, दानापुर के द्वारा निबंधित बख्शीशनामा एवं दखल के आधार पर दाखिल खारिज वाद सं0 1204/2008–09 के अन्तर्गत दिनांक 25.09.2008 को दाखिल खारिज की स्वीकृति दी गयी।

(4) दाखिल खारिज के आदेश के विरूद्ध विपक्षी के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील वाद सं0 06/2014–15 दायर किया गया। भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा व्यवहार न्यायालय में दायर टाईटिल सूट सं0 160/1999 लंबित रहने के आधार पर अंचलाधिकारी, दानापुर के आदेश को निरस्त करते हुए अपील स्वीकृत कर ली गयी।

(5) भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा अपने आदेश में यह भी अंकित किया गया है कि प्रश्नगत भूखण्ड के लिए ही दाखिल खारिज वाद सं0 512/2011–12 के अन्तर्गत दाखिल खारिज की स्वीकृति दी गयी थी, जिसके विरूद्ध अपील दायर की गयी। अपील वाद सं0 37/2011–12 के अन्तर्गत दाखिल खारिज का आदेश निरस्त कर दिया गया। अपील वाद सं0 37/2011–12 के आदेश के विरूद्ध अपर समाहर्ता, पटना न्यायालय में पुनरीक्षण वाद सं0 23/2012–13 दायर किया गया, जिसे निरस्त कर दिया गया।

(6) वास्तव में दाखिल खारिज वाद सं0 512/2011–12 के अन्तर्गत अंचलाधिकारी, दानापुर के द्वारा आवेदक की माँ निर्मला देवी के नाम से दाखिल खारिज का आदेश दिया गया था, जिसके विरूद्ध अपील सं0 37/2011–12 दायर की गयी। अपील स्वीकृत होने के पश्चात निर्मला देवी

के द्वारा पुनरीक्षण वाद सं0 23/2012–13 दायर किया गया, जिसे अपर समाहर्ता, पटना के द्वारा निरस्त कर दिया गया। अपर समाहर्ता, पटना के आदेश विरूद्ध निर्मला देवी के द्वारा BLT वाद सं0 906/2015 दायर किया गया। बिहार भूमि न्यायाधिकरण के द्वारा अपने दिनांक 28.10.2016 के आदेश से अपर समाहर्ता, पटना तथा भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के आदेश को निरस्त करते हुए, अंचलाधिकारी, दानापुर को निर्मला देवी के पक्ष में दाखिल खारिज करने का आदेश दिया गया। निर्मला देवी को भी उनके श्वसुर जानकी प्रसाद सिंह के द्वारा दिनांक 04.08.1998 के बख्शीशनामा से जमीन दान की गयी थी।

(7) स्वत्व वाद सं0 160/99 भी आवेदक के द्वारा दिनांक 06.02.2016 को वापस लिया जा चुका है। प्रश्नगत भूखण्ड को लेकर किसी भी न्यायालय में कोई वाद लम्बित नहीं है।

(8) दाखिल खारिज अपील वाद सं0 06/2014–15 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा दिनांक 04.08.2015 को पारित आदेश को नियम विरूद्ध बताते हुए रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

आवेदक के द्वारा निम्न कागजात की छाया–प्रति दाखिल की गयी है।

(1) बी0एल0टी0 वाद सं0 906/2015 में दिनांक 28.10.2016 को पारित आदेश

(2) टाईटिल बंटवारा सूट सं0 47/1972 की याचिका

(3) टाईटिल सूट सं0 160/99 में दिनांक 06.02.2016 को पारित आदेश

विपक्षी का कहना है कि

(1) यह पुनरीक्षण वाद चलने लायक नहीं है तथा रद्द करने योग्य है।

(2) सम्पूर्ण सम्पति जानकी प्रसाद सिंह की है, जिनके दो पुत्र ललन प्रसाद सिंह एवं सुधीर कुमार सिंह हुए। विपक्षी ललन प्रसाद सिंह की एक मात्र पुत्री है, जबकि सुधीर कुमार सिंह को दो पुत्र अनील कुमार एवं अनिकेत कुमार हुए। जानकी प्रसाद सिंह की सम्पति में विपक्षी आधे हिस्से की हकदार है। पारिवारिक सम्पति के क्रय में ललन प्रसाद सिंह की मेहनत एवं पूंजी भी लगी है।

(3) पारिवारिक सम्पति के बंटवारा हेतु पूर्व में $\frac{1}{4}$ हिस्सा के लिए सुधीर कुमार सिंह के द्वारा टाईटिल सूट सं0 47/1972 दायर किया गया था।

(4) आवेदक दिनांक 04.08.1998 के बख्शीशनामा पर विवादित भूखण्ड पर दावा कर रहे है। परन्तु उक्त बख्शीशनामा फर्जी है, क्योंकि उस समय जानकी प्रसाद सिंह अपनी स्मरण शक्ति खो चुके थे तथा मानसिक रूप अस्वस्थ्य थे। मुबंई में निबंधित किये गये उक्त बख्शीशनामा के आधार पर विवादित भूखण्ड पर आवेदक को कोई हक एवं अधिकार

नहीं बनता है।

(5) आवेदक एवं अन्य के द्वारा पारिवारिक सम्पति को लेकर टाईटिल सूट सं0 160/99 दायर किया गया था, जिसमें इस वाद को विपक्षी भी पक्षकार थी। सब जज–II दानापुर के द्वारा दिनांक 06.02.2016 को टाईटिल सूट सं0 160/99 इस शर्त के साथ वापस किये जाने का आदेश दिया गया कि आवेदक पुनः प्रश्नगत भूखण्डों के लिए स्वत्व वाद दायर नहीं करेगें।

(6) विपक्षी के द्वारा BLT वाद सं0 906/2015 में पारित आदेश के विरूद्ध उच्च न्यायालय, पटना में अपील दायर की गयी है।

(7) दाखिल खारिज अपील वाद सं0 06/2014–15 में पारित आदेश को विधि सम्मत बताते हुए पुनरीक्षण आवेदन निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा उपलब्ध कराये गये कागजात के परिशीलन से निम्न तथ्य सामने आते हैं।

(1) भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं0 06/2014–15 में अंचलाधिकारी, दानापुर के आदेश को दो कारणों से निरस्त किया गया।

(क) प्रश्नगत भूखण्ड का पहले भी दाखिल खारिज वाद सं0 512/2011–12 के अंतर्गत दाखिल खारिज किया गया था, जिसके विरूद्ध दाखिल खारिज अपील सं0 37/2011–12 दायर की गयी। अपील स्वीकृत कर ली गयी। अपील वाद में पारित आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण वाद सं0 23/2012–13 दायर किया गया, जिसे अपर समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा निरस्त कर दिया गया।

(ख) विवादित भूखण्ड को लेकर सब जज–II दानापुर के न्यायालय में स्वत्व वाद सं0 160/1999 लम्बित है।

आवेदक के द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों तथा निम्न न्यायालय के अभिलेख से स्पष्ट है कि दाखिल खारिज वाद सं0 512/2011–12 के द्वारा आवेदक की माँ निर्मला देवी के पक्ष में दाखिल खारिज की स्वीकृति दी गयी थी। उक्त भूखण्ड इस वाद के भूखण्ड को अलग है, जो निर्मला देवी को दिनांक 04.08.1998 के बख्शीशनामा से जानकी प्रसाद सिंह से प्राप्त हुयी थी। उक्त मामले में बिहार भूमि न्यायाधिकरण के द्वारा दिनांक 28.10.2016 के अपने आदेश में यह कहते हुए कि दिनांक 04.08.1998 का बख्शीशनामा प्रभावी है, भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर एवं अपर समाहर्ता, पटना के आदेश को निरस्त कर दिया गया।

जहाँ तक स्वत्व वाद 160/1999 का प्रश्न है वह दिनांक 06.02.16 वापस लिया जा चुका है।

प्रश्नगत मामले में जबकि स्वत्व वाद निष्पादित हो चुका है, तथा दिनांक 04.08.1998 का बख्शीशनामा किसी सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं किया गया है, तो उक्त बख्शीशनामा एवं दखल कब्जा के आधार पर विवादित भूखण्ड का दाखिल खारिज इस वाद के आवेदक के पक्ष में किया

जाना विधि सम्मत होगा।

(2) विपक्षी के द्वारा स्वत्व वाद सं0 47/1972 की बात कही गयी है। निम्न न्यायालय के अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि उक्त स्वत्व वाद दिनांक 08.05.1973 को अदम पैरवी के कारण खारिज कर दिया गया था।

(3) विपक्षी के द्वारा BLT वाद सं0–906/2015 में पारित आदेश के विरूद्ध उच्च न्यायालय, पटना में 00अपील दायर किये जाने की बात कही गयी है, परन्तु BLT वाद सं0 906/2015 में सन्निहित भूमि इस वाद में सन्निहित भूखण्ड से भिन्न है। साथ ही उक्त अपील में किसी प्रकार का स्थगन आदेश पारित होने की बात विपक्षी के द्वारा नहीं बतायी गयी है।

सम्यक विचारोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि दाखिल खारिज अपील वाद सं0 06/2014–15 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा दिनांक 04.08.2015 को पारित आदेश उचित एवं विधि सम्मत नहीं है, अतः उसे निरस्त करते हुए दाखिल खारिज वाद सं0 ~~1203~~ 1204/2008–09 में पारित अंचलाधिकारी, दानापुर के आदेश को सम्पूष्ट किया जाता है।

आदेश की प्रति भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर एवं अंचलाधिकारी, दानापुर को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

30/7/18

(वज़ैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता,पटना

30/7/18

(वज़ैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता,पटना